



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274111
CG-DL-E-04072026-274111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3445]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3445]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3580(अ).—केन्द्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.आ. 2061(अ) तारीख 3 मई, 2023 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने कर्मचारियों के संबंध में तत्समय संदेय मजदूरी के आठ और एक-तिहाई प्रतिशत को अंशदान की दर के रूप में अधिसूचित करती है, जो नियोजक द्वारा संहिता के अधीन स्थापित पेंशन निधि में कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 के लागू होने की तारीख यानी 29 जून, 2026 से प्रति मास देय होगी।

[फा. सं. एस-35025/10/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3580(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 16 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and without prejudice to S.O. 2061(E), dated the 3rd May 2023, the Central Government hereby notifies eight and one-third per cent. of the wages for the time being payable in relation to his employees as the rate of contribution which shall be payable every month by the employer to the Pension Fund, established under the Code with effect from the commencement of Employees' Pension Scheme, 2026 i.e. 29th June, 2026.

[F. No. S-35025/10/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.